

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

जगदीश पिता माधवदास बैरागी नि. खैरुणा

बनाम

सोजी पिता प्रधा कंजर नि. खैरुणा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 593/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
14-06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खैरुणा प. ह. टीठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 742 रकबा 0.2592 हेक्टेयर, आ. न. 964/14 रकबा 0.0540 हेक्टेयर, आ. न. 965/20 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, आ. न. 966/45 रकबा 0.2376 कुल कित्ता 04 रकबा 1.6308 हेक्टेयर स्थित है। विपक्षीयण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्धित 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम ग्राम खैरुणा प. ह. टीठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 742 रकबा 0.2592 हेक्टेयर, आ. न. 964/14 रकबा 0.0540 हेक्टेयर, आ. न. 965/20 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, आ. न. 966/45 रकबा 0.2376 कुल कित्ता 04 रकबा 1.6308 हेक्टेयर स्थित की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14-06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/593/2023

दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प. स. 593/2023 अनवान जगदीश पिता माधवदास बैरागी नि. खैरुणा बनाम सोजी पिता प्रथा कंजर नि. खैरुणा, नंदा कुमार पिता लालू कुम्हार नि. खैरुणा, छोटू पिता लालू कुम्हार नि. खैरुणा कैलाश पिता लालू कुम्हार नि. खैरुणा जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम खैरुणा प. ह. टीठोड़ा जागीर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 742 रकबा 0.2592 हेक्टेयर, आ. न. 964/14 रकबा 0.0540 हेक्टेयर, आ. न. 965/20 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, आ. न. 966/45 रकबा 0.2376 कुल कित्ता 04 रकबा 1.6308 हेक्टेयर, स्थित की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)